राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म	मिश्री देवी बनाम मूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
108/2025		

6/10/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

06/11/2025 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/12/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 207 के आराजी खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1115 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 08 का कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर भूमि का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं पूर्व में स्थगन आदेश के बावजूद अवैध रूप से खोले गये रास्ते को निरस्त करते हुये सभी खातेदारान की सुविधानुसार नया रास्ता कायम कर कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/12/2024 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | अधिवक्ता उभयपक्ष में अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में काउन्टर क्लेम भी पेश हुआ है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में काउन्टर क्लेम का बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य-सबूत के आधार पर विवेचनात्मक निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 15 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी पर बहस समायत करते हुये दौराने बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिश्री देवी बनाम मूलचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पक्षकारान की अनापत्ति होना अंकित कर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/12/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर विवेचनात्मक प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर